भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2250

जिसका उत्तर 02 दिसम्बर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया गया

सहकारी बैंक घोटाले

2250. श्री मनीश तिवारी:
श्री बंदी संजय कुमार:
श्रीमती साजदा अहमद:
श्री जय प्रकाश:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की देश में सहकारी बैंकों के कामकाज पर कोई भूमिका या नियंत्रण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक में हाल के संकट के प्रकाश में आरबीआई द्वारा 23 सितंबर 2019 को आहरण सीमा पर अंकुश लगाने से कितने खाताधारक/जमाकर्ता प्रभावित हुए थे;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय द्वारा विनियामक निरीक्षण की कमी के कारण पीएमसी ऋण का लगभग 73 प्रतिशत एक उधारकर्ता एचडीआईएल को दिया गया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) उन खाताधारकों/जमाकर्ताओं की संख्या कितनी है जो अभी भी अपने खातों से अपनी बचत राशि वापस नहीं ले सके हैं; और

(ड.) सरकार द्वारा हानि को रोकने/गैर निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीएएस) की वसूली और सहकारी बैंकों के निवेशकों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ड.): सहकारी बैंकों का बैंकिंग कामकाज बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित होता है। आरबीआई बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 35 के तहत शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) सांविधिक पर्यवेक्षण करता है।

आरबीआई ने जमाराशि के अधिमान्य भुगतान की संभावना को रोकने और अविवेकपूर्ण उधार देने पर रोक लगाने के उद्देश्य से, 23 सितम्बर 2019 को कारोबार समाप्त होने से लेकर छः माह तक की अवधि के लिए पंजाब एण्ड महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक पर प्रतिबंध लगाये हैं

जिसके अनुसार बैंक को संकट/अव्यवस्था की स्थिति से बचने के लिए जमाकर्ताओं द्वारा एक निर्धारित सीमा से अधिक राशि के अग्रिम और आहरण करने की अनुमति नहीं दी गयी है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक की नकदी की स्थिति तथा जमाकर्ताओं को भुगतान करने की बैंक की क्षमता की समीक्षा करने के पश्चात तथा बैंक के जमाकर्ताओं की कठिनाई को कम करने की दृष्टि से, ऐसे आहरणों को समय-समय पर उत्तरोत्तर बढ़ाता रहा है, इस समय आहरण की सीमा 50,000 रुपए है, जो कि 5 नवम्बर, 2019 से प्रभावी है। अद्यतन छूट के साथ बैंक के लगभग 78% (दिनांक 23.9.2019 की स्थिति के अनुसार पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं की संख्या आरबीआई द्वारा यथासूचित किए गए अनुसार 9,15,957 है।) जमाकर्ता अपनी संपूर्ण जमाराशि आहरित कर सकते हैं। आहरण की सीमा की निगरानी, सामने आ रहे बैंक के जमाकर्ता तथा नकदी प्रोफाइल की तुलना में की जा रही है और बैंक के जमाकर्ताओं के बेहतर हित में जैसा भी उचित हो, आगे समुचित कार्रवाई की जा सकती है।

इसके अलावा, जमाकर्ता समस्या (चिकित्सा व्यय तथा अपने या अपने बच्चों की शिक्षा पर व्यय, अपने तथा अन्य संबंधियों की शादी पर व्यय जैसे गैर-चिकित्सा व्यय तथा आजीविका) के आधार पर 1 लाख रुपए (सभी गैर-चिकित्सीय आधार पर 50,000 रुपए की उप-सीमा के साथ) तक की राशि आहरित कर सकते हैं। ऐसे मामलों का तेजी से समाधान करने के लिए समस्या के आधार पर ऐसे आहरणों को स्वीकृत करने का अधिकार बैंक के प्रशासक को दिया गया है।

आरबीआई द्वारा बैंककारी अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटीज पर यथा लागू) की धारा 35 के तहत पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक के (31 मार्च 2019 को उसकी स्थिति के संबंध में) सांविधिक पर्यवेक्षण से हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लि. (एचडीआईएल) समूह कंपनियों को बड़ी मात्रा में समूह ऋण देने का पता चला है, जो 74.26% था। जबकि आरबीआई को एक्सपोजर संबंधी सूचना देने में बैंक ने एक विशेष कंपनी अर्थात एचडीआईएल से संबंधित सूचना को छिपाते हुए जानबूझकर गलत विनियामकीय रिटर्न दर्शाया था, जिससे कि एक्सपोजर मानदण्डों के विनियमकीय उपबंधों का अनुपालन दर्शाया जा सके।

आरबीआई ने यह भी कहा है कि चूंकि यह बोर्ड स्तर के प्रबंधन की असफलता का मामला था, बैंक के निदेशक मंडल का अधिक्रमण आवश्यक माना गया। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ककक की उप-धारा (1) और (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 23 सितम्बर, 2019 को बैंक के निदेशक मंडल का अधिक्रमण करते हुए उनके स्थान पर छः माह की अवधि के लिए एक प्रशासक को नियुक्त किया।

इसी बीच बैंक द्वारा धोखाधड़ी/वित्तीय अनियमितताओं तथा बैंक की खाता बही में छेड़छाड़ करने में लिप्त अपने अधिकारियों तथा उधारकर्ताओं के विरुद्ध दर्ज की गई शिकायत के आधार पर

आर्थिक अपराध शाखा, महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले की जांच आरंभ कर दी है। संबद्ध लेन-देनों की जांच करने के लिए फोरेंसिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की गयी है।

आरबीआई ने सूचित किया है यूसीबी को उनके एनपीए के स्तर को कम करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश/अनुदेश जारी किए गए है।

- परिचालन के क्षेत्र का विस्तार करने, शाखा प्राधिकार, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा इत्यादि जैसे उद्देश्यों के लिए विनियामकीय अनुमोदनों को अन्य चीजों के बीच, एनपीए की दी गयी सीमा (सकल एनपीए 7% और निवल एनपीए 3%) के साथ जोड़ा गया है।
- यूसीबी के लिए विद्यमान पर्यवेक्षी कार्रवाई संरचना (एसएएफ) के अंतर्गत, संरचना में विनिर्दिष्ट सीमा (10% से अधिक सकल एनपीए) का उल्लंघन करने वाले यूसीबी पर कुछेक विनियमकीय प्रतिबंध लगाए हैं और ऐसे यूसीबी को गहन निगरानी में रखा गया है।
- यूसीबी में अच्छे उधार प्रशासन और कदाचारों को रोकना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, यूसीबी को विभिन्न अनुदेश जारी किये गए हैं। इनमें आंतरिक नियंत्रण, लेखा-परीक्षा समिति, बड़े मूल्य वाली धोखाधड़ियों के लिए विशेष समिति, इरादतन चूक, निदेशकों, उनके रिश्तेदारों एवं उनकी कंपनियों, उन मामलों जिनमें उनका हित है इत्यादि को उधार देने पर रोक लगाने से संबंधित अनुदेश शामिल हैं।
- एनपीए की समय पर पहचान करने और उसके लिए पर्याप्त प्रावधान करने के उद्देश्य से यूसीबी को आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान बनाने के संबंध में विस्तृत विवेकपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

*****